

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. के प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: \_\_\_\_\_

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_

डी.डब्ल्यू.एस.एम. के प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: \_\_\_\_\_

ग्राम सभा का नाम: \_\_\_\_\_

ग्राम पंचायत का नाम: \_\_\_\_\_

ब्लॉक का नाम: \_\_\_\_\_

जिला का नाम: \_\_\_\_\_

राज्य का नाम: \_\_\_\_\_

ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संदर्भ लिया जाता है कि मूँजी लागत या \_\_\_\_%, प्रयोक्ता समूह आदि का भुगतान दिया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गॉव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): \_\_\_\_\_

समिति को क्या कहा जाता है: \_\_\_\_\_

आधिकारी का नाम: \_\_\_\_\_

लिंग: \_\_\_\_\_

आयु: \_\_\_\_\_

39

संदर्भ का नाम	सिंग	आयु
1. विरन	३६५४	३७
2. निलैश	४०	४०
3. निलैश	३०	३०
4. निलैश	३६	३६
5. निलैश	३२	३२
6. निलैश	३६	३६
7. निलैश	३२	३२

97

8. शाखा


६

प्रदूषण

३०







### पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ५२ के.एल.डी.  
 मर्वेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ३६ के.एल.डी.  
 मर्वेशों कंड़ों की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ५८ के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ३८ के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न.  
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: \_\_\_\_\_
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:
- पानी की गुणवत्ता
20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

आपदा	लद्दाका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिप्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिप्रीमेट्रिक विधि	
क्लोरोइड	टिप्रीमेट्रिक विधि	
अल्लोक्लोरो	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोरोइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉट्स्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ ग्राम इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल क्लोनशन के लिए पर्याप्त जगह न हो! ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	स्रोत की संख्या	आवश्यक

**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)
25. गाँव में उन भौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

**गंदला जल का प्रबंधन**

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): >5 के.एल.डी.
- अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवर्तों की संख्या: 7  
उन परिवर्तों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: \_\_\_\_\_
- आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6  
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): -16/-  
यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_  
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. यह आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/सेन्ट्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: ठर घाट नलि से जल

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू सासिक जल शुल्क/


प्रयोक्ता शुल्क: 30-50 कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू में जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौटड़वा विस्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्रं-वाटर भैंजमेंट, ईनेज सिस्टम आदि।
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.जी.)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रं-वाटर भैंजमेंट - सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / समुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।
एम.वी.एम. भव भव ई. नी. प्ल	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल सरकार गतिविधियों



योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार का विभाग	समर्पित गतिविधियों को पूरा की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ पृष्ठभूमि पुनर्जन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडरों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडरों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय दूर्दि विषयक योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित योर्स	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एक्चीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए बनीकरण, यन परिस्थितिकी तत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आपराधिक नालय तंत्रांवलों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	स्कूलों में फैजल आपूर्ति का प्रावधान	
समर्ग शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकादीन निधियों के द्वारा जल संरक्षण गतिविधियों	
आकांक्षी जिला नवर्जनन	नीति आयोग	बड़े लैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों	
जिला स्थानिज विकास निधि (डी.एम.एफ)	राज्य	अंतःग्राम अवसरणना	
एम.पी.एल.ए.टी.	सांस्थिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसरणना	
एम.एल.ए.एल.ए.टी.	राज्य	अंतःग्राम अवसरणना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जलजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जलजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसरणना	
दानदाता प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: कि२४

वी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_ कि२४

#### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की घोकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. जुस्ता डॉ. सुखील
2. शमापनी डॉ. डाक्टरीन
3. कुमिला डॉ. खड्गीर
4. रिटार्जाहुन डॉ. मोहनी
5. तजाक्तु डॉ. भासीन

संप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: ट्रिब्यू. कॉलेज

